

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 607]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2023 — अग्रहायण 13, शक 1945

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

क्रमांक / 542 / एफ-2(9) / 48 / सं.का. / 2023. — छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए उद्घृत की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, सचिव.

राजभवन

रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2023

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं विश्वभूषण हरिचंदन, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, एतदद्वारा छत्तीसगढ़ की विद्यमान विधानसभा का विघटन, आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 से विघटन करता हूँ।

हस्ता. /-

(विश्वभूषण हरिचंदन)
राज्यपाल, छत्तीसगढ़

RAJBHAVAN
Raipur

Raipur, the 4th December 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred on me by sub-clause (b) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Biswabhusan Harichandan, Governor of Chhattisgarh, hereby, dissolve the existing Legislative Assembly of the State of Chhattisgarh from 04th day of December, 2023.

Sd/-

(Biswabhusan Harichandan)
Governor, Chhattisgarh